

Hkkj r l jdkj
[kku ea=ky;
Hkkj rh; [kku C; ij k]j
{ks=h; [kku fu; a=d dk; kZy;
f}rh; ry] th0 , l 0 vkbD OhYM Af'k{k.k dln] egkys[kkdkj dk; kZy; i f j j]
i kLV&fo/kkul Hkk] j k; i j &492005 %NUkhI x<½
Oku , oa QDI &0771&2282530] 2285590/95 b&esy% ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/RAP/LST-75/RPR

खान कोड- 38CHG14028

fnukd%&09.02.2022

प्रेषित-

श्री अवधेश जैन, अरिहन्त भवन,
सट्टी बाजार, बजरंग अखाडा के पास,
रायपुर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
Email: kasturicementaj@yahoo.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपके पथराकुण्डी चुनापथर खदान 7.044 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं बिकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/12/2021 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री अवधेश जैन, पट्टेदार कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

fu; e	mYy@ku ds i xdkj dk foLr r C; k]k
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
27(2)	In compliance to the Gazette notification no. G. S. R. 780 (E) dated 03rd November 2021, the difference of financial assurance (FA) as required under Rule 27(1) and the FA already submitted in the form of a bank guarantee (BG) has not been submitted to this office within 90 days from the date of notification.
45(5)(C)	While scrutiny of annual return for financial year 2020-21 few discrepancies are observed; i. At part – III of table no. 2 (Royalty and Rents), the payment made to the State Govt. in the heads of Dead Rent & Surface Rent have not been mentioned in the returns. ii. At part – VII, the cost of production is mentioned as ₹200/- whereas the production and despatch figures are reported as Nil.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11 (2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।
- (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 26(2) एवं 27(2) का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(C) का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यों न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए। (ग) आपके वीरुध अभियोग दायर की जाए। (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए।

भवदीय

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक (सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर